आर.ई.ओ.–95

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651313 (का) फेक्स नं० 2651227

क्रमांकः– मु.अ./जोविविनिलि/अनु–पीपीएम/पत्रा०आर.ई.ओ. /प्रे०सं० 722 जोधपुर दिनांक 4/6/05

आदेश

विषयः– एक ही खेत परिसर /खसरा/मुरब्बा में सामान्य श्रेणी में दूसरा कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में ।

वर्तमान में कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दू संख्या 23 (iii) में यह प्रावधान किया हुआ हैं कि कृषि कनेक्शन के मामले में कनेक्शन का सप्लाई क्षैत्र खसरा/खेत परिसर /मुरब्बा माना जाये । यदि कोई कृषक दूसरे कुऐ पर जो उसी खसरा /खेत परिसर /मुरब्बा में हो दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढवाना चाहे, तो उसका भार बढाया जा सकता हैं अर्थात एक ही कनेक्शन से दो कुऐ चलाये जा सकते हैं ।

इस प्रावधान के अतिरिक्त किसान संघों व जन प्रतिनिधियों की मॉग व उपभोक्ताओं कि कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया गया हैं कि उपभोक्ता ने अपनी आवश्यकतानुसार अपने एक ही खेंत परिसर /खसरे /मुरब्बा में एक कृषि कनेक्शन के अतिरिक्त दूसरे कनेक्शन के लिये आवेदन कर रखा हैं /करता हैं तो नम्बर आने पर दूसरा कनेक्शन उसी खेत परिसर /खसरा/मुरब्बा में जारी कर दिया जावें /दूसरे कनेक्शन का मॉग पत्र कृषि कनेक्शन नीति 2004(संशोधित 18.09.2004) के बिन्दू संखया 10 (1) के अनुसार जारी किया जावेगा । यह स्पष्ट किया जाता हैं कि दूसरा कनेक्शन भी उसी 11 के.वी. फीडर से जारी किया जावेगा जिससे कि विधमान कनेक्शन चालू हैं । यह आदेश साधारण कृषि श्रेणी में ही लागू होगा ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

(एच.एस.देवडा)
मुख्य अभियन्ता (सीपीएम)
जो.वि.वि.नि.लि.जोधपुर